

1/121988/2023

1/121988/2023

CE(P)

प्रेषक,

विनीत कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

इं० जीवन्त
वरिष्ठ स्टाफ आ...

देहरादून: दिनांक 16 मई, 2023

ई फाईल संख्या 53625-

SSO-III (P)

मुख्य अभियन्ता (नियोजन)
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

लोक निर्माण अनुभाग-2-

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विभिन्न 09 निर्माण कार्यों (प्रथम चरण) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., अल्मोडा द्वारा संलग्न विषयगत कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणनों, जिनके अंतर्गत अडक मागों की कुल लम्बाई 35.00 k .m + 04 bridge एवं लागत ₹ 976.20 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 205.14 लाख (₹ दो करोड़ पांच लाख चौदह हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 010. लाख (₹ दस हजार मात्र) की दर से 09 कार्यों हेतु 0.90 ₹ लाख (₹ नब्बे हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश संख्या 1764-III(2)/10-17(सामान्य)/2008, दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-383/III(1)/19-190(पी.डब्लू.डी)/2001 टी.सी।। दिनांक 05.02.2020 का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- कार्य पर उतना ही व्यय हो जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि से बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

- vi. स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका में सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2017-एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
- vii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:2047-/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- viii. उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन.पी.वी, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथाशक्य व्यय अनुदान संख्या-22 के सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मदों/उपमदों में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी धनराशि से किया जायेगा।
- ix. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- x. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31.03.2024 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।
- xi. यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- xii. उक्त कार्य हेतु लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या1403-/III(2)/21-08(सामान्य)/2020 दिनांक 25.05.2021द्वारा जारी RFQ एवं TOR का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2 - इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, लेखाशीर्षक5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय04- जिला तथा अन्य सड़कें337- सड़क निर्माण कार्य03- राज्य सेक्टर0302- नया निर्माण कार्य53- वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02) के नामें डाला जायेगा।

3 - ये आदेश वित्त अनुभाग2- के कम्प्यूटर जनित संख्या- I/ 121402 /2023 दिनांक 11 मई,2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
Signed by Vineet Kumar
Date 15/05/2023 14:50:11
अपर सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, लो.नि.वि. उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. आयुक्त, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
5. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
6. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रकार्या0, लो.नि.वि., अल्मोड़ा।
7. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग2-, उत्तराखण्ड शासन।
10. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लो.नि.वि., अल्मोडा।
11. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो.नि.वि., बेरीनाग।
12. गार्ड फाईल।

(श्याम सिंह)
 संयुक्त सचिव।

E- FILE No- 53625 का संलग्नक

धनराशि लाख रु. में

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी० में)	लागत (लाख रु० में)	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या:-1313/2021 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा-धारचूला के अन्तर्गत तीजम से यावलदांग मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	7.00	33.18	0.10
2	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या:-1315/2021 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा-धारचूला के अन्तर्गत पैययापौड़ी हल्का वाहन मार्ग के कि०मी० 7 गुईयों से ठेका-थौड़ा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	7.00	10.50	0.10
3	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या:-1316/2021 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा-धारचूला के अन्तर्गत उमचिया से कर्तो तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)(आर.एक.क्यू एवं टी.ओ.आर. के अनुसार)।	5.00 + 01 Bridge	34.10	0.10
4	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या:-1320/2021 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा-धारचूला के अन्तर्गत ग्राम पंचायत राथी में कि०मी० 06 से जी०आई०सी० राथी बोरगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5.00	61.50	0.10
5	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या:-1321/2021 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा-धारचूला के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सुवा घटखोला में झूला पुल का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)(आर.एक.क्यू एवं टी.ओ.आर. के अनुसार)।	60 mtr.	8.40	0.10
		7.00	10.50	

6	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या:-1324/2021 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा-धारचूला के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कालिका राष्ट्रीय राजमार्ग से तोक कपड़ाथौली-गोठी-धूरा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)			0.10
7	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या:-1326/2021 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा-धारचूला के अन्तर्गत चल और सेला के मध्य झूलापुल का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)(आर.एक.क्यू एवं टी.ओ.आर. के अनुसार)।	120 mtr.	16.80	0.10
8	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या:-1317/2021 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा-धारचूला के अन्तर्गत तोक कुचांसो ग्राम बुंगबुंग में झुला पुल का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) (आर.एक.क्यू एवं टी.ओ.आर. के अनुसार)।	80 mtr.	11.20	0.10
9	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या:-1318/2021 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा-धारचूला के अन्तर्गत सिमखोला से बासिमखोला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	4.00	18.96	0.10
	योग:-	35.00 +04 Bridge	205.14	0.90

(कुल रु. नब्बे हजार मात्र)

Signed by Shyam Singh
Date: 15-05-2023 15:17:54

(श्याम सिंह)
 संयुक्त सचिव।



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/121988/2023
अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S23050220024
आवंटन पत्र दिनांक-16-MAY-2023

लेखा शीर्षक 5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिचय 04-जिला तथा अन्य सड़के
337-सड़क निर्माण कार्य 03-राज्य सेक्टर
02-नया निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02से स्थानान्तरित) Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम				पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग					
53-वृहद निर्माण				490000	90000	0	580000					
योग				490000	90000	0	580000					

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.90,000 (Rupees Ninety Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: eicpwwd@nic.in

पत्रांक- 660 /20 याता0'क' /2023

दिनांक-24.05.2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
- अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।
- अधिकासी अभियन्ता, ~~उत्तराखण्ड~~ खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ~~कनिष्ठ~~।
- अधिकासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष